Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Maharashtra-Karnataka border dispute.

श्री राहुल रमेश शेवाले (दक्षिण-मध्य मुम्बई): माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर अंतर्राज्यीय विवाद लंबे समय से लटका हुआ है । महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के साथ 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया है जिसमें बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बीदर, और गुलबर्गा और बेलगावी, कारवार, और निप्पनी के शहरों में 814 गाँव शामिल हैं । ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र चाहता है कि उनका राज्य के साथ विलय कर दिया जाए । विवाद की उत्पत्ति 1956 में भाषाई और प्रशासनिक कारणों के साथ राज्यों के पुनर्गठन में निहित है । पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसीडेंसी के एक बहुभाषी प्रांत, जिसमें वर्तमान कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे । 1948 में बेलगाम नगरपालिका ने अनुरोध किया कि मुख्यतः मराठी भाषी आबादी वाले जिले को प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए । हालांकि, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बेलगाम और बॉम्बे राज्य के 10 ताल्लुकों को तत्कालीन मैसूर राज्य (जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था) का एक हिस्सा बना दिया । सीमाओं का सीमांकन करते हए, राज्य आयोग के पुनर्गठन ने मैसूर में 50 प्रतिशत से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले ताल्लुकों को शामिल करने की मांग की । अभी यह मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 17 मार्च 2020 को सुनवाई होनी थी जिसकी कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण सुनवाई नहीं हो सकी । अब अगली सुनवाई की तारीख कोविड-19 के वैश्विक विवाद के कम होने के बाद ही तय की जाएगी । विभिन्न कारणों के कारण, 23 जनवरी 2017 के बाद सुनवाई नहीं की जा सकी ।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय विवाद पर फैसला नहीं देता, तब तक इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए । महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी की है ।